

इकाई - ४

भाव - पल्लवन (विस्तरण) (विचार विस्तार)

प्र. १. भाव - पल्लवन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए ।

अंग्रेजी में विस्तरण - पल्लवन - विचार विस्तार को 'एक्सपैन्शन' या 'एम्प्लिफिकेशन' कहते हैं । विस्तरण में किसी सूक्ति या संक्षिप्त और सार - गर्भित कथन को उपमाओं तथा दृष्टान्तों के धारा विस्तारित रूप में व्याख्या रूप में प्रस्तुत किया जाता है । सुगठित एवं गूढ़ विचार या भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं ।

किसी लेखक के मूल लेख या वक्ता के कथन को विस्तार के साथ लिखते या अभिव्यक्त करने की क्रिया को भाव-विस्तार कहा जाता है । भाषा के क्षेत्र में कठिन वस्तु शब्दमयी होती है । जब अध्येता या श्रोता के लिए शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्ध पूर्ण तथा स्पष्ट हो जाय तो समझना चाहिए कि भाव - विस्तार की प्रक्रिया परिपूर्ण हो गई ।

पल्लवन एक कला है । इसके लिए भाषा ज्ञान की अपेक्षा होती है । विश्लेषण संश्लेषण, तर्क - वितर्क और उचित निर्णय के बिना अर्थ पल्लवन या भाव - विस्तार नहीं आ सकता । आख्याता को प्रारंभ से ही अपनी बात खोलकर कहनी पड़ती है । उसे प्रत्येक अंश को समझा - समझाकर कहना पड़ता है । उसे नोट और विवेक का प्रदर्शन करना पड़ता है और मुश्किल वाक्यों को तोड़कर सरल शब्दावली प्रस्तुत करनी पड़ती है ।

✓ विस्तरण कला को व्यवहार करके और अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है ।

विस्तरण करने में निम्नलिखित पद्धति अपनानी चाहिए -

- (१) संपूर्ण लेख या अंश को पढ़कर उसकी मूल बातों को अलग - अलग लिख देना चाहिए और उन शब्दों या बातों को लिख लेना चाहिए जिनकी व्याख्या या विस्तार करना अर्थ को या बात को स्पष्ट करने के लिए अपेक्षित हो ।
- (२) इन बातों या अंशों को विस्तारित कर या विवेचित कर विषय को स्पष्ट करना
- (३) पल्लवन में सरल भाषा तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए ।
- (४) मूल लेख के वाक्यों की व्याख्या के लिए अपने वाक्य भी बीच - बीच में जोड़े जा सकते हैं ।
- (५) पल्लवन में पूर्ण सन्दर्भों, उपमाओं, दृष्टान्तों इत्यादि का भी सहारा लिया जा सकता है, जिससे पल्लवन रोचक, प्रभावी तथा हृदयग्राही हो सकें ।

कुशल पल्लवन की योग्यताएँ :-

- (१) तार्किक बुद्धि : पल्लवनकार अपनी तर्क बुद्धि से ही विषय की विवेचना स्पष्ट कर सकता है ।
- (२) भाषा पर अधिकार : पल्लवनकार को भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए इसी से अभिव्यक्ति सामर्थ्य बढ़ता है ।



- (३) सूक्ष्म दृष्टि : सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के बल पर ही विस्तारक मूल भाव व्यक्त हो सकता है ।
- (४) व्याख्या शक्ति : पल्लवनकार में व्याख्या करने की भी शक्ति होती है ।
- (५) अध्ययनशीलता : पल्लवनकार का अध्ययनशील होना अति आवश्यक होता है । यदि वह विषय का ज्ञाता न होगा तो किसी सारगर्भित अंश की विवेचना नहीं कर पायेगा ।
- कुशल पल्लवनकार में उपर्युक्त सभी गुण अपेक्षित हैं ।

कुछ उदाहरण देखिए :-

(१) पराधीन सपने हूँ सुख नहीं ।

गोस्वामी तुलसीदास की प्रस्तुत पंक्ति मानव-मन के स्वच्छंद स्वभाव को उजागर करती है । मनुष्य ही नहीं हर प्राणी स्वच्छन्द, उन्मुक्त या स्वाधीन रहना पसंद करता है । वह नहीं चाहता कि कोई उस पर बलात् शासन करे ।

मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक जीवन जीने में ही वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है । पराधीनावस्था में उसकी इच्छाओं पर बलात् रोक लग जाती है । परिणामस्वरूप उसकी इच्छाएँ दब जाती हैं । वह ऐसे दमित वातावरण में घुटन अनुभव करता है । घुटन के कारण उसे दुःख, असंतोष, बेचैनी की अनुभूति होती है । दमनपूर्ण अनुशासन में रहते हुए मनुष्य की आत्मा संकोच अनुभव करती है । जबकि वास्तविक आनंद मुक्ति में हैं, स्वच्छंद रहने और स्वच्छंद फिरने में है । कविवर भरतभूषण अग्रवाल भी लिखते हैं -

मुक्त करो !

मुक्त रहो !

हँसी फूल में नहीं

गंध बौर में नहीं

गीत कंठ में नहीं

हँसी, गंध, गीत - सब मुक्ति में हैं

मुक्ति ही सौन्दर्य का अंतिम प्रमाण है ।

वास्तव में मनुष्य दूसरे की अधीनता में किंचित् सुख नहीं पाता है । इस विश्व में कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि उस पर बंधन हों । पशु-पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं । यदि तोते को पिंजरे में बाँध कर उसे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन दिए जाएँ, तो भी वह उन व्यंजनों का मोह छोड़कर जंगलों में स्वतंत्र विचरण करना चाहेगा । जैसे जीवनदायिनी वायु कमरे में बँधकर दम घोटने लगती है, उसी प्रकार बंधन में जकड़कर यह जीवन हमें मौन से भी बदतर लगने लगता है ।

पराधीन रहने से मनुष्य का 'स्व' मर जाता है । वही 'स्व' की अनुभूति मनुष्य को आनंद देती है । इसके मरते ही मुख की धारा में खंड पड़ जाता है । मनुष्य ही नहीं, जीव-जन्तुओं में भी स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है ।

मानव मन से ही अपना स्वामी है। उसे अपनी टूटी-फूटी झोंपड़ी में स्वतंत्र रहना पड़े है, किंतु आलीशान महल में पराधीन रहना पसंद नहीं करता है। ऐसी उक्ति भी है कि स्वतंत्रता में दासता करने की बजाय नरक में राज्य करना अधिक श्रेष्ठ है।

इस प्रकार उपर्युक्त पंक्ति ने भारत की धर्मपरायण जनता को स्वाधीनता का बोध करा है।

✓ (२) "नर और नारी जनमते और मरते हैं, किंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है।"

जवाहरलाल नेहरू की यह पंक्ति राष्ट्र की अमरता को घोषित कर रही है। व्यक्ति मरने से राष्ट्र नहीं मरता। संसार में असंख्य नर-नारियों का जन्म प्रतिक्षण होता रहता है और प्रत्येक क्षण उनकी मृत्यु भी होती है। मनुष्य के साथ जीना-मरना हमेशा लगा ही रहता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी। यह निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसके संबंध किसी तरह का भ्रम हो ही नहीं सकता।

किंतु राष्ट्र अमर है, इसकी आत्मा अमर है। यह मनुष्य की तरह जीता-मरता नहीं है। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना में है। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है।

राष्ट्र की आन्तरिक एकता सुदृढ़ रहती है, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति उँगली उठाने की हिम्मत नहीं करती, उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन जब उसकी आन्तरिक शक्ति गृहकलह में पड़कर विशृंखल होने लगती है तब उसका हास अवश्यम्भावी होता जाता है।

मनुष्य मरता है, किंतु उसकी परंपरा कभी नहीं मरती। व्यक्ति मरता है, पर राष्ट्र नहीं मरता। राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रधान होती है। इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि किसी राष्ट्रीय जाति को किसी भौगोलिक सीमा अर्थात् देश के आक्रमणकारियों ने उखाड़ दिया। मगर अपनी परंपरा और ऐतिहासिक चेतना को लिये वह राष्ट्रीय जाति किसी ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाकर पुनः राष्ट्रमय हो ही जाती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जाति, कौम और राष्ट्र एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। इन शब्दों का साम्प्रदायिक अर्थ नहीं, ऐतिहासिक अर्थ है।

आज भारत के किसी एक कोने का निवासी मूलतः किसी अन्य छोर का वंशज है, किसी एक कोने की भाषा बोलनेवाला मूलतः किसी दूसरे ही छोर की जन्मी भाषा बोलता है, सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सारे धाम और सारे यात्रापथ 'एक-दूसरे' के ऐतिहासिक मिलन के साक्षी हैं, सारे वंशों की रगों में एक ही पारस्परिक रक्त का संचार है। यही कारण है कि भारत एक राष्ट्र है।

राष्ट्रीयता का कोई राजनीतिक कारण नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक कारण ही होता है। समस्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और न्यायिक कारणों से पाकिस्तान के लोग भारत राष्ट्र की ही संतान हैं। रक्त से, खान-पान से, आचार-विचार या नस्ल से पाकिस्तान के लोग भी भारत के लोग हैं। किसी के धर्म-परिवर्तन से ही नस्ल का परिवर्तन या राष्ट्र का परिवर्तन नहीं होता।

(३) आप भले तो जग भला,
आप बुरे तो जग बुरा ।

दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है । प्रत्येक मनुष्य में कोई-न-कोई त्रुटि-कमी अवश्य हैं । ऐसे में एक दूसरे को सुधारने का प्रयत्न वृथा है । ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, किंतु अपनी आँख के शहतीर को नहीं देखते । दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान है, अपने ही आदर्शों पर स्वतः अमल करना अति कठिन है । अपने आप ही सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए और दूसरों के अवगुणों पर टीका-टिप्पणी करना बन्द कर देना चाहिए । निंदा सुनकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए । दादू ने ठीक ही कहा है -

“निन्दक बाबा वीर हमारा
बिन ही कौड़ी बहे बिचारा ।
आपन डूबै और को तारे,
ऐसा प्रीतम पार उतारै ॥”

निन्दक हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान खींचता है तो हमें उन अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । जिसने उनकी ओर अपना ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए । यह संसार एक काँच का महल जैसा है । अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है । यदि हम स्वयं प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी । अगर आप हमेशा लोगों के ऐवों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर मैली दृष्टि से देखते हैं फिर वे क्यों न आपको गुस्से से देखेंगे ?

वास्तव में हमारा जीवन एक चमकती रोशनी की तरह आकर्षक होगा तो सैकड़ों - हजारों पररवाने बरबस एकत्र होंगे और हमारे जरा से संकेत पर बड़ी-सी-बड़ी कुरबानी करने के लिए तैयार होंगे । महात्मा गांधी के प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ने कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खिंच लिया था । वे कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे, पर हँसकर, मीठी चुटकियाँ लेकर अपना प्रेम देकर । किसी भी मनुष्य का सही मूल्यांकन करना हो तो उसकी त्रुटियों या कमजोरियों को उस समय अलग करके फेंक देना चाहिए क्योंकि ये चीजें उसकी अपनी नहीं हैं ।

दूसरों के दोष ढूँढ़ने के अधिकारी हम तभी हो सकते हैं, जब हम स्वयं निर्दोष हों । दोष हम सब में मौजूद हैं, तब अन्य व्यक्तियों में दोष - विवेचन ही हमारा सबसे बड़ा दोष हो जाता है । डेविड ग्रेसन ने लिखा है - “जब कभी मुझे दोष देखने की इच्छा होती है तो स्वयं से ही आरंभ करता हूँ और इससे आगे नहीं बढ़ने पाता ।” इसीलिए कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि । कबीर ने कहा है -

बुरा जो देखने मैं चला बुरा न दीखा कोय ।
जो दिल खोजूँ आपना मुझ सा बुरा न कोय

संस्कृत में ठीक ही कहा गया है - “सर्वत्र खल्वात्मानुमानेन वर्तितुं युक्तम्” अर्थात् सब स्थितियों में मनुष्य को अपने अनुमान से, अपने को उस स्थिति में रखकर, व्यवहार करना चाहिए ।

सृष्टि में सर्वाधिक बलवान समय है । फ्रेंकलिन का कहना है कि "तुम्हें अपने जो प्रेम है, तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसीसे बना है ।" समय को नष्ट जीवन को नष्ट करने के बराबर है । ईश्वर एक बार एक ही लमहा देता है और दूसरा देने से पहले उसको छीन लेता है । समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है ।

समय का कोई मोल नहीं हो सकता । सुविख्यात शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारधारा पोषक श्रीमन्नारायण ने अपने एक लेख 'समय नहीं मिला' में समय के महत्व पर प्रडालते हुए लिखा है - "अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है कि 'समय धन है ।' पर असल तो यह है कि समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । हम रुपया-पैसा तो कमाते ही हैं जितना अधिक परिश्रम करें उतना ही यदि भाग्य खराब न हो - अधिक धन कमा सकते परंतु क्या हजार परिश्रम करने पर भी चौबीस घंटों में एक भी मिनट बढ़ा सकते हैं ? मूल्यवान वस्तु का धन से फिर क्या मुकाबला ।"

सचमुच समय मनमोल है । समय प्रकृति की अमूल्य भेंट है । तुलसीदास जी कहते

**"का बरखा जब कृषी सुखाने
समय चूकि पुनि का पछताने ॥"**

जैसे पानी की लहर किसी के लिए नहीं रुकती, वैसे ही समय किसी की प्रतीक्षा करता । समय की गति धनुष से छोटे तीर की तरह आगे की ओर है, पीछे की ओर नहीं । इस का सदुपयोग करना हितकर है ।

संसार में समय शक्तिशाली है । प्रत्येक प्राणी की सफलता का रहस्य समय ही है । समय की कीमत समझेंगे तो समय हमारी । कबीर ने कहा है -

**"कल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।
पल में परलव होयगा, बहुरि करेगा कब ॥"**

कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में इस तथ्य को रूपायित किया है कि हमारा समय किंचित् अधिकार नहीं है । अतः समय का इंतकार किये बिना जो कार्य करना है कर डाल चाहिए । निकम्मे और आलसी लोग समय का आदर नहीं करते, इसलिए दुनिया की दौड़ वे पीछे रह जाते हैं ।

समय को नष्ट करना मानव-जीवन की अवहेलना करना है । समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है । वह किसी के अधीन नहीं है । वह मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है । समय प्रकृति की ओर से मानव को दिया हुआ ऐसा अमूल्य धन है, जहाँ धन निर्धन का तनिक भेद नहीं है । समय के साम्राज्य में सब समान हैं ।

अनेक लोगों ने समय की तुलना स्वर्ण के साथ की है । परंतु ऐसा कर उन्होंने समय को मूल्य कम किया है । यथार्थ में समय तो स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है । सोना तो धन परिश्रम करके उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु समय नष्ट हो जाने पर उसे किसी

प्रकार लौटाया नहीं जा सकता । अतः समय का मूल्य समझना चाहिए । समय के महत्व को समझता है वह कभी दुःखी नहीं होता ।

(५) बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते :

राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम होना सहज-स्वाभाविक हैं । राष्ट्र प्रेम की भावना इतनी उदात्त और व्यापक है कि राष्ट्र प्रेमी समय आने पर अपने प्राणों की बलि देकर भी अपने राष्ट्र की रक्षा करता है । जिस चमन पर बुलबुल निवास करती हैं, उससे परम प्रेम करती है । प्रेम का पवित्र भाव उसे बलिदान के लिए प्रेरित करता है । अतः बुलबुल जिस चमन का अन्न - जल ग्रहण करती है, जिसकी डालियों पर वह अपना बिछौना बनकर केलि-क्रीड़ाएँ करती है, जिसकी सुमन्द समीर से प्रसन्न होकर वह वनों में अपना स्वर गुंजरित करती है, उसी चमन पर जब कोई विपदा आती है, तो वह उसके लिए कुर्बान भी हो जाती है । जब उस चमन को आग लगती है तो वह आग की ज्वाला से बचने के लिए चमन छोड़कर नहीं भागती, अपितु उसी चमन के साथ जलकर भस्म हो जाती है । यह उसके प्रेम का स्पष्ट प्रमाण है, इसी प्रकार मनुष्य की भी यही गाथा है । वह भी अपनी मातृभूमि की गोद में फल-फूलकर उसीके लिए समर्पित होने को हमेशा आमादा रहता है । कवि के शब्दों में -

“खा अन्न और जल तेरा माँ,
ये अंग सकल हैं बड़े हुए ।
तेरी ही वायु से माता,
ये साँस हैं अब तक अड़े हुए ॥
ऋण तेरा है मुझ पर भारी,
उसको हम आज चुका देंगे
जीवन की भेंट चढ़ा देंगे ॥”

वस्तुतः हम जिस मिट्टी का अन्न खाते हैं, उसके प्रति हमारा स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है कि हम उसकी आन-बान-मान की रक्षा करें । उसके लिए हमें अपना सर्वस्व लुटाना पड़े तो लुटा दें । सच्चे प्रेमी का यही कर्तव्य है कि वह बलिदान के अवसर पर सोच-विचार न करे, मन में लाभ-हानि का विचार न लाए अपितु प्रभु इच्छा मानकर कुर्बान हो जाए ।

सच्चा देशभक्त वही है जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे । अपनी योग्यता शक्ति, बुद्धि को राष्ट्र देवता के चरणों में अर्पित कर देने वाला ही सच्चा देशभक्त कहलाता है । वह ऐसा कोई काम न करें जिससे राष्ट्र के हित या यश को धक्का लगे । राष्ट्र हमारे लिए क्या कर रहा है यह नहीं हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं यही सोचना सच्ची राष्ट्र भावना है ।

(२) किसी एक विषय पर संक्षेप में निबन्ध :

(१) भारत की भाषा - समस्या :

स्वतंत्रता के पैंसठ वर्ष के पश्चात् भी भारत जिन समस्याओं को सुलझा नहीं पाया है, उनमें एक प्रमुख है भाषा-समस्या । आज इस समस्या ने जटिल रूप धारण कर लिया है । भारतीय संविधान की धारा ३४३ के अंतर्गत कहा गया है कि "नागरी लिपि में हिन्दी भारत की राजकीय भाषा होगी ।" राजकीय भाषा के रूप में हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए संविधान की धारा ३५१ में यह कहा गया है कि - "संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी के प्रचार का प्रयत्न करे और उसे इस तरह विकसित करे कि वह भारत की संश्लिष्ट संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ।"

भारत बहुजातीय देश है, अतः इसमें अनिवार्य राजभाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण है । समस्त भारत की राजभाषा हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी हो इस संदर्भ में भारत की भाषा-समस्या विशेष महत्वपूर्ण हो गई है । शासन व्यवस्था के लिए क्लर्कों की अनिवार्यता को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंग्रेजी की पढ़ाई को विशेष महत्व दिया । दूसरी ओर भारतीय जनता यही चाहती थी कि शिक्षा, अदालत, कचहरी, शासन इत्यादि में अंग्रेजी की जगह उसकी अपनी भाषा चले । स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेताओं से इस न्यायपूर्ण माँग की आशा की जाती थी । नेताओं ने भारतीय जनता के साथ न्याय नहीं किया ।

कुछ विद्वान् हिन्दी के स्थान पर बंगाली के संस्कृतीकरण की माँग भी कर रहे हैं, जबकि आमजनता यह चाहती है कि हिन्दी ही सम्पर्क भाषा बनी रहे । अंग्रेजी उन पर न लदी रहे । भारत को वर्तमान भाषा-समस्या की मूल जननी अंग्रेजी है । इसे हटाकर हो सके इतनी अहमियत हिन्दी को दी जाय तो यह समस्या का समाधान अपने आप हो जायेगा । अंग्रेजी - भक्तों की कूटनीति से हम भली-भाँति परिचित हैं । ये नहीं चाहते कि भारत से अंग्रेजी का प्रभुत्व कम हो और हिन्दी उसका स्थान ले । अंग्रेजी प्रेमी इस बात को जानते हैं कि अंग्रेजी को सबसे बड़ा खतरा हिन्दी से ही है, क्योंकि आज हिन्दी का प्रचार - प्रसार चारों ओर है । दक्षिण भारत में भी हिन्दी अपना स्थान निश्चित करती जा रही है । अंग्रेजी भक्तों का विरोध तो अब भी जारी है । वे अहिन्दी भाषियों के मन में यह दहशत उत्पन्न कर रहे हैं कि हिन्दी को सम्पर्क - भाषा स्वीकार कर लेने पर उनकी मातृभाषाओं की उन्नति नहीं हो सकेगी । हिन्दी-भाषी केन्द्रीय सरकार की नौकरियों पर अपना अधिकार कर लेंगे और अहिन्दी भाषी पिछड़ जायेंगे ।

समय-समय पर आनेवाले आयोगों के सुझाव से इतना स्पष्ट फलित होता है कि अंग्रेजी की पढ़ाई तो अनिवार्य रहनी चाहिए । मातृभाषाएँ या क्षेत्रीय भाषाएँ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा-माध्यम के लिए उपयुक्त हैं, किन्तु महाविद्यालयों की शिक्षा के लिए एक मात्र सशक्त और उपयुक्त माध्यम अंग्रेजी ही हो सकती है । अंग्रेजी भक्तों की यह विषम शिक्षा नीति का अन्त कब होगा यह कहना मुश्किल है ।

स्वतंत्रता के उपरान्त हमें एक उम्मीद थी कि अब अंग्रेजी से हमारा छुटकारा हो जायेगा । सन् १९४७-४८ के आसपास माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय बना दिया गया था, पर अंग्रेजी - अनुयायियों को इसमें अपना भावी विनाश दिखाई दिया और उन्होंने अंग्रेजी को पुनः अनिवार्य बना दिया । उत्तर प्रदेश सरकार ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा

का माध्यम हिन्दी अंग्रेजी दोनों रखा है। दोनों में से किसी भी माध्यम को विद्यार्थी पसंद कर सकता है। इसका परिणाम यह निकला है कि अधिकांश छात्र हिन्दी माध्यम को अपनाने लगे हैं। गुजरात में गुजराती माध्यम को छात्र अपनाते हैं। यहाँ अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी गुजराती और हिन्दी तीनों में से कोई भी विषय चुना जा सकता है। अन्य भाषा - भाषी राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था हो जायेगी तो हमारा विद्यार्थी समुदाय अंग्रेजी जैसी दुरुह भाषा के बोझ से अपने को बचा सकेगा।

अंग्रेजी के प्रशंसक आज भी जन-सम्पर्क स्थापित करने के लिए अंग्रेजी की ही दुहाई दे रहे हैं। वास्तव में यह दुःख की बात है। भाषा-समस्या का व्यावहारिक समाधान यही है कि हमारे देश में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा ही रहनी चाहिए, न हिन्दी या अंग्रेजी। क्योंकि हमें यह न भूलना चाहिए कि "भारत गणराज्य है। गणराज्य में किसी को भी अपनी बात, भाषा या संस्कृति को बलात् दूसरे पर थोपने का अधिकार नहीं होता।"

'केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद्' का त्रिभाषा - सूत्र (मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी) जागरूक शिक्षा शास्त्रियों के मत से एक समझौतावादी सूत्र है। इसके रहते भारत में अंग्रेजी का अनिवार्यता रहेगी ही, जबकि देश की आमजनता अंग्रेजी से छुटकारा चाहती है। विकृत शिक्षा-नीति को सुधारने का काम डॉ. त्रिगुण सेन ने किया। उन्होंने भाषा-समस्या का हल द्विभाषा-सूत्र के रूप में दिया। उन्होंने कहा कि - "भारत गणराज्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य रहनी चाहिए, तथा प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी एक अन्य भारतीय या विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। इस दूसरी भाषा का चयन करने के लिए विद्यार्थी स्वतंत्र है।"

डॉ. सेन के द्विभाषा-सूत्र का विरोध अंग्रेजी के समर्थकों के साथ कट्टर हिन्दी समर्थकों ने भी किया। भाषा-समस्या का दूसरा पक्ष सम्पर्क भाषा का है। हिन्दी में भारत की सम्पर्क भाषा बनने के सभी गुण हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यह भाषा आरम्भ से ही भारत और भारतीयता की विरोधी रही है। इसने भारतीय संस्कृति, इतिहास धर्म इत्यादि के सम्बन्ध में भारत में तथा विदेशों में अत्यन्त भ्रान्त तथा व्यर्थ प्रचार किया है। इसने भारतीय भाषाओं में आपसी विरोध की भावना उत्पन्न कर, उन्हें हीन-भावना से पीड़ित बनाये रखा है। ऐसी अंग्रेजी न भारत की सम्पर्क - भाषा बन सकती है, न शिक्षा का माध्यम।

संविधान की धारा में हिन्दी को न केवल राष्ट्रभाषा ही घोषित किया गया, बल्कि यह भी कहा गया था कि संविधान लागू होने की तिथि से पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी भारत की राजकार्य की भाषा रहेगी। सन् १९६५ में भारतीय संविधान को लागू हुए पन्द्रह वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इन पन्द्रह वर्षों में न तो केन्द्र सरकार ने हिन्दी के विकास का कोई प्रयत्न किया, न हिन्दी - भाषी राज्यों की सरकारों ने। परिणामतः हिन्दी अंग्रेजी की बाँदी बनी रही। यदि अंग्रेज भक्त सरकारों ने हिन्दी का व्यवहार किया होता तो आज स्थिति कदाचित् अलग होती। यहाँ हर राष्ट्रीय समस्या को राजनीति का चश्मा पहनाकर देखा जाता है, यह भारत का बड़ा दुर्भाग्य हिन्दी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के

नेता अंग्रेजी के मोहजाल में फँसे हुए हैं। राजनैतिक लाभ के लिए उन्होंने दक्षिणी भारत के अहिन्दी - भाषियों के मन में हिन्दी के प्रति भ्रूण का वातावरण उत्पन्न कर रखा है।

भारत की भाषा समस्या का एक मात्र हल है यहाँ से अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त किया जाय। यह हमारा अपना झगड़ा है। हम अपनी समस्या में परदेशी को क्यों इनवोल होने देंगे? अंग्रेजी को हटाना है तो हमें हमारी भारतीय भाषा को ही सम्पर्क भाषा के रूप में आगे करना होगा, चाहे फिर वह हिन्दी हो या अन्य कोई भाषा।

(२) कम्प्यूटर : आज की जरूरत

कम्प्यूटर मानव निर्मित यन्त्र मस्तिष्क है, जो किसी भी प्रकार की गणना कुछ क्षणों में कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क ही है। वह विभिन्न इकाइयों का समूह है। "वह ऐसे यान्त्रिक मस्तिष्कों का रूपात्मक तथा समन्वयात्मक योग-एवं गुणात्मक घनत्व है, जो तीव्रतम गति से न्यूनतम समय में अधिकाधिक काम कर सकता है।" वर्तमान वैज्ञानिक युग में कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। घरेलू - जीवन से लेकर शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार, मुद्रण - प्रकाशन, ज्योतिष, प्रशासन, रक्षा - व्यवस्था इत्यादि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसमें कम्प्यूटर का प्रयोग न हो रहा हो। "सदियों से प्रयास का परिणाम कम्प्यूटर जो कार्य आज कर दिखा रहा है, मानव के लिए असम्भव है।" प्रारम्भ में मनुष्य ने गिनती करने के लिए उँगलियों की लाइनें, जमीन या दीवार पर लाइनें तथा कंकड़ आदि से कार्य प्रारंभ किया। धीरे - धीरे मशीनी युग आया। बाद में १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कम्प्यूटर बनाया। हमारे देश में सन् १९६१ में पहला कम्प्यूटर बना।

कम्प्यूटर आज की बहुत बड़ी जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों में कम्प्यूटर अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। संपूर्ण देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों की टिकटें एवं आरक्षण की स्थिति पलक झपटे ही विदित हो जाती है। व्यापार जगत में इसका महत्व और अधिक है। व्यापार सम्बन्धी सभी लेखा-जोखा कम्प्यूटर में रखा जाता है। बैंक, डाकघर में भी यह सफल सिद्ध हुआ है।

"कम्प्यूटर का कार्य आदेश लेना, आदेशों को कार्यक्रम के रूप में संचित करना, उसका क्रियान्वयन करना, परिणाम संचित करना और आदेशानुसार परिणामों को सामने रखना है।" ये सभी कार्य कम्प्यूटर की विभिन्न इकाइयाँ करती हैं। इन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो भागों में बाँटा जा सकता है।

दिनोंदिन कम्प्यूटर की माँग तथा उपयोगिता बढ़ रही है। यह देख तो ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में आदमी ही कम्प्यूटर हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि अब तो प्रारंभिक कक्षाओं में ही कम्प्यूटर अनिवार्य हो गया है। "इसकी सहायता से छात्रों को व्यक्तिनिष्ठ पाठ उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके माध्यम से विशाल सूचना के भण्डार को संचय एवं व्यवस्थित किया जा सकता है।" कम्प्यूटर के द्वारा छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है।

हमारे देश में कम्प्यूटर का प्रयोग तीव्र गति से होने लगा है। सेना, प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों, औद्योगिक संस्थानों आदि में कम्प्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अशुद्धता

की जाँच, मशीन इंजनों के कलपुर्जे की जांच भी कम्प्यूटर से ही की जाने लगी है, जिससे वस्तु में गुणवत्ता बढ़ गई है ।

कम्प्यूटर की अपनी एक अलग भाषा होती है । उसी भाषा में सब तरह के संकेत, सूचना इसमें भरे जाते हैं । तकनीकी भाषा में ऑन - ऑफ, शून्य, एक या फिर द्विचर संख्या का प्रयोग होता है । इन्हीं के द्वारा भाषा को अंकों में बदलने को बिट्स भी कहा जाता है । ये बिट्स छः होते हैं, जिनका प्रयोग करके अन्तिम परिणाम प्राप्त किया जाता है ।

कम्प्यूटर की भाषा गणितीय है । इसकी गणितीय भाषा में केवल दो अंक होते हैं । इसमें केवल एक (१) और शून्य (०) दो अंक होते हैं । इसलिए इसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है । उल्लेखनीय है कि कम्प्यूटर केवल मशीनी भाषा जानता है । उसकी कोड़ भाषा को देवनागरी पढ़वा दी जाए तो वह हिन्दी या देवनागरी सी कार्य करने लगेगा । इसी प्रकार थोड़े से परिवर्तन से भाषाओं में कम्प्यूटर पर कार्य करना सम्भव हो जाता है ।

किसी भी विषय को कम्प्यूटर की तकनीकी भाषा में बदलना प्रोसेसिंग कहते हैं । प्रोसेसिंग का काम कम्प्यूटर से काम लेने वाले व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है । इसका कार्य गणना करना तथा निर्देश के आधार पर मानव को सहायता प्रदान करना है । इस आधार पर इसे सूचना माध्यम से प्रोसेसिंग करने वाला उपकरण कहा जाता है ।

कम्पोजिंग वहु-रंगी चित्रों तथा पृष्ठ सज्जा संबंधी कार्यों में शुद्धता, शीघ्रता व मनोरसपूर्णता लाने में आज कम्प्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण है । कागज और कमल के स्थान पर कम्प्यूटर द्वारा संचालित 'वीडियो डिस्प्ले' इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनकी सहायता से समाचारों का वर्गीकरण, सम्पादन एवं वितरण हो रहा है । इसके द्वारा जन्मकुंडली बनाई जा रही है । वह व्यक्ति के सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर रहा है । टेलीप्रिन्टर और वीडियो मानीटर स्क्रीन से संवाद-प्रेषण में क्षिप्रता आई है । समाचारों के ढेर से समाचार छाँटना और उसे संबंधित विभागाध्यक्ष के पास भेजना कम्प्यूटर द्वारा सरलता से हो रहा है ।

कम्प्यूटर के कारण समाचार - प्रेषण में क्रान्ति मची हुई है । एक समय था जब कबूतर, डाकिए, टेलिग्राम द्वारा संवाद भेजे जाते थे, जो मंथर गति से गन्तव्य तक पहुँचते थे । कभी बीच में ही खो जाते थे, पर आज कम्प्यूटर के कारण वे तत्काल समाचार पत्र कार्यालय में पहुँच जाते हैं । पत्रकारिता - जगत् में अभूतपूर्व क्रांति इसीके कारण आयी है । "इन्टरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब सेंट कम्प्यूटर की नई उपलब्धियाँ हैं । इन्टरनेट विश्वव्यापी स्तर पर कम्प्यूटरों का एक-दूसरे से जुड़ा वह रूप है जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है ।"

कम्प्यूटर से समय और श्रम की बचत होती है । थोड़े से व्यक्तियों से अधिकाधिक काम कम्प्यूटर द्वारा संभव हो पाया है । कुछ लोगों का मानना है कि यदि सभी काम कम्प्यूटर से किए जाएँ तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में बेरोजगारी की समस्या और विकृत रूप धारण करेगी । अतः मनुष्य को चाहिए कि इसके प्रयोग के साथ-साथ अपने मस्तिष्क का प्रयोग अवश्य करता रहे । कम्प्यूटर आज की जरूरत अवश्य है, किंतु सदैव उस पर निर्भर रहना ठीक नहीं है । कुछ भी हो इसकी सदी में कम्प्यूटर हमारे जीवन में अपरिहार्य वस्तु हो गया है । हमारी दृष्टि में इससे हानि की अपेक्षा लाभ ही अधिक है । "नवीनतम कम्प्यूटरों को तोपों,

राकेटों, पनडुब्बियों और युद्धक हवाई जहाजों में लगाया जा रहा है, वे ही उनका संचालन करते हैं और एक केन्द्रीय कक्ष में उनका नियंत्रण होता है।" इस प्रकार कम्प्यूटर का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

(३) मेरा देश महान

रूपरेखा :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (१) प्रस्तावना | (५) हमारे राष्ट्रीय प्रतीक |
| (२) भारत नाम की उत्पत्ति | (६) वैज्ञानिक एवं आर्थिक प्रगति |
| (३) स्थिति, सीमा, विस्तार | (७) उपसंहार |
| (४) संस्कृति, लोग, व्यापार | |

भारत अति प्राचीन देश है। कविवर श्रीधर पाठक ने कहा है -

“जगत-मुकुट जगदीश दुलारा,
शोभित सारा देश हमारा।”

श्रीमती महादेवी वर्मा ने कहा है कि - “संसार में इतना सुन्दर देश दूसरा नहीं है। जिन्होंने बाहर जाकर देखा है, वे भी यही कहेंगे कि वास्तव में ऐसी हरी-भरी भूमि, जिसमें तुषार मंडित हिमालय भी है, जिसमें सूर्य की किरणों केसर के फूलों की तरह शोभा बरसाती हैं, जिसके कंठ में गंगा-यमुना जैसी नदियों की माला पड़ी हुई है, गोदावरी और कृष्णा-कावेरी की करधनी जिसके कटि-प्रदेश की शोभा बढ़ाती है, जिसके चरण तीन ओर से कन्याकुमारी में सागर धोता है। इतनी हरी-भरी, इतनी सम-विषम है, सुजला-सुफला भारत की ही धरती है।”

उर्दू के महान शायर ने ठीक ही कहा है -

“सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा।”

अभिप्राय हमारा भारत विश्व में सबसे सुन्दर देश है।

इस देश का नाम समय-समय पर भारत, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। सर्वप्रथम आर्यों ने इस सुन्दर देश की स्थापना की थी। महाराज दुष्यन्त एवं शकुन्तला के पुत्र भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। मनु को प्रजा के भरण-पोषण के कारण 'भरत' कहा जाता है। ऋग्वेद के काल में आर्यों की एक शक्तिशाली शाखा का नाम 'भरत' था। इसीसे भारत नाम पड़ गया।

भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हिन्द महासागर, पश्चिम में अरबी समुद्र, पूर्व में बंगला तथा ब्रह्मदेश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, भूतान, तिब्बत इत्यादि भारत के पड़ोशी देश हैं। हमारे देश में वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर ये छः ऋतुएँ क्रमशः आती हैं। हमारा देश २८ राज्य और पाँच केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित है। इसकी जनसंख्या १०५ करोड़ से अधिक है, जो संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता अति प्राचीन एवं सभ्य है। यहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी धर्म एवं जाति के लोग हिल-मिल कर रहते हैं। हमारे देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सतलज, ब्यास, रावी, सोन, सरयू, तापी इत्यादि पवित्र नदियाँ बह रही हैं। सेवा, त्याग एवं बलिदान के आदर्श भारतीय जन-जीवन के हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं। राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लेकर देश की मिट्टी को पवित्र किया है और हमारे देश को संस्कृति को गौरवान्वित किया है। मेरे देश के लोग सरल, परिश्रमी एवं ईमानदार हैं। यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ भाषा, वेश-भूषा, खान-पान, रीति-रिवाज इत्यादि के अनेक भेद हैं, फिर भी मेरा देश एकता के धागे से बँधा हुआ है। विभिन्नताओं में भी एकता के दर्शन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

यहाँ हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी, तमिल, बंगला, तेलुगु, बिहारी, अंग्रेजी इत्यादि अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। वहाँ संसद है, जिसके लोकसभा और राज्यसभा दो अंग हैं। हमारे देश के प्रमुख 'राष्ट्रपति' कहलाते हैं। देश का शासन प्रधानमंत्री एवं उनका मन्त्रिमण्डल चलाता है। यह धर्म प्रधान देश है। प्राचीन युग में मेरे देश का चरित्र बड़ा आदर्श होता था। विदेशी यहाँ से चरित्र की शिक्षा लेते थे। यहाँ बड़े धर्मात्मा, तपस्वी, त्यागी, परोपकारी, वीर, बलिदानी महापुरुष हुए हैं। यहाँ की स्त्रियाँ पतिव्रता, सती, साध्वी, वीर, साहसी एवं योद्धा हुई हैं। उन्होंने कई बार जोहर किए हैं। ध्रुव, प्रह्लाद, लव-कुश, अभिमन्यु, हकीकतराय इत्यादि बालकों ने अपने उँचे एवं महान् जीवनादर्श से अपने देश का नाम उज्ज्वल किया है।

खेती-बाड़ी में मेरे देश की तुलना नहीं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी मेरा देश अपने में महान है। सोना, चाँदी, हीरे, पन्ने के साथ लोहा, ताम्बा, अभ्रक, कोयला इत्यादि अमूल्य धातुएँ यहाँ उपलब्ध हैं। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने इसे 'वसुन्धरा' कहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में भारत की प्रगति बेजोड़ है। यहाँ की निर्मित वस्तुओं की विदेशों में अच्छी मांग है और खपत है। अनेक कपड़ा मिले हैं। अनेक दवायें बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। तकनीकी में हमारा देश बहुत आगे है। इस देश के दुधारु पशुधन विश्वविख्यात हैं। इसलिए इस देश के सोने के चिड़िया कहा जाता था। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं। जलवायु की दृष्टि से मेरा भारत अनोखा है। खजुराहो, कोणार्क आदि मंदिरों, ताजमहल, कुतुबमिनार जैसी भव्य इमारतें देश का गौरव बढ़ाते हैं।

सभ्यता-संस्कृति-साहित्य का आदि देश भारत ही है। विश्व को मानव-मूल्यों की सही पहचान करानेवाला मेरा देश ही है। सत्य, अहिंसा, शान्ति, सदाचार, सद्भाव का सन्देश विश्व को मिला हो तो भारत से। संस्कृति का प्राचीनतम ज्ञान वेदों के रूप में सुरक्षित है तो भारत में ही। सर्वधर्म-समभाव एवं विश्व-कल्याण का संदेश मिलता है तो भारत से। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श सर्वप्रथम प्राप्त हुआ तो भारत से ही।

हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। कमल राष्ट्रीय फूल है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 'जन गण मन' भारत का राष्ट्रीय गान, 'वन्दे मातरम्' राष्ट्रीय गीत है।

(३) कहानी-लेखन :

- कहानी के लिए रूपरेखा दी जाती है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक देना होता है।
- कहानी से मिलनेवाली सीख (बोध) को अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए।

कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें :

- (१) दी गई रूपरेखा को दो-तीन बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दी गई रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखनी होती है।
- (२) कहानी के प्रत्येक संकेत पर एक-एक पंक्ति लिख देने से कहानी नहीं बनती।
- (३) कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार दीजिए।
- (४) कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दो।
- (५) घटना का वर्णन संक्षेप में होना चाहिए।
- (६) छात्रों से बीस-पच्चीस पंक्तियों में कहानी की अपेक्षा की जाती है। अतः इसका विशेष ध्यान रखें।
- (७) पात्रों की बातचीत को वार्तालाप के रूप में लिखिए।
- (८) संवाद संक्षिप्त, सहज-स्वाभाविक एवं स्पष्ट हों।
- (९) कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए।
- (१०) पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में नहीं लिखनी चाहिए। कम-से-कम तीन परिच्छेद हों। सीख-बोध को अलग पैरेग्राफ में लिखो।
- (११) कहानी की लिखावट स्वच्छ-सुन्दर होनी चाहिए।
- (१२) कहानी की भाषा सरल, सरस, स्वाभाविक, प्रवाहमयी होनी चाहिए।
- (१३) वर्तनी तथा विराम चिह्नों का उचित प्रयोग करें।
- (१४) मुहावरों-कहावतों के प्रयोग से कहानी प्रभावोत्पादक बन जाती हैं।
- (१५) कहानी का प्रारंभ और अंत रोचक, भावपूर्ण एवं संक्षिप्त होना चाहिए।
- (१६) कहानी का शीर्षक छोटा-सा, आकर्षक और सूचक होना चाहिए।
- (१७) शीर्षक मुख्यपात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर दिया जाय।

- (१) एक जमींदार - एक सन्दूकड़ी - जिस में नकद रुपये - नौकर का सन्दूकड़ी की चाबी बनाना - दस हजार रुपये गायब - जमींदार परेशान - योजना - सभी नौकरों को बुलाना - कपास की बोरियों के पीछे जाकर जिसने सन्दूकड़ी से रुपया चुराया है उसकी दाढ़ी में अब भी रूई फंसी है। चोर का रूई हटाने के लिए दाढ़ी पर हाथ रखना - चोर का पकड़ा जाना - शिक्षा

चोर की दाढ़ी में तिनका

किशनपुर नामक एक गांव था। गाँव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम धनपतराय था। बड़ा ही धनिक था वह। उपज को रखने के लिए उसके पास एक बड़ा-सा गोदाम था। जिसमें कपास, मक्का, गेहूँ इत्यादि का भण्डार रहता था। उसी गोदाम की एक दीवार में लोहे की सन्दूकड़ी थी, जिस में वह नकद धन रखता था। कुछ नौकरों को इसका ज्ञान था।

एक दिन एक नौकर के मन में सन्दूकड़ी से रुपया निकालने की इच्छा हुई। वह सन्दूकड़ी तोड़ना नहीं चाहता था। वह जब भी गोदाम में जाता था, समय निकालकर चाबी बनाने का प्रयत्न करता। एक दिन वह इस कार्य में सफल हो गया। उसने दस हजार रुपये की गड़्डी उठा ली।

दूसरे दिन धनपतराय ने सन्दूकड़ी खोली। उसमें दस हजार रुपए की गड़्डी गायब देखकर वह बहुत हैरान हो गया। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि चोरी का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था और रुपये गायब थे।

धनपतराय चतुर था। उसने एक योजना बनाई। दूसरे दिन उसने अपने सभी नौकरों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। उसने उन्हें रुपये चोरी होने की सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि उसने चोर को भी पकड़ लिया है। उसने कहा कि कपास की बोरियों के पीछे जाकर जिसने सन्दूकड़ी से रुपया चुराया है, उसकी दाढ़ी में अब भी रूई फंसी हुई है। यह सुनते ही असली चोर ने रूई को दाढ़ी से हटाने के लिए अपना हाथ दाढ़ी पर रखा। उसे ऐसा करते हुए सभी ने देख लिया। धनपतराय ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को बुलाकर हवालात में भेज दिया। पुलिस के समक्ष उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

शिक्षा : वास्तव में चोर के पैर नहीं होते। बुद्धि द्वारा बड़ी समस्या का समाधान ढूँढ़ा जा सकता है। थोड़ी स्वस्थता की जरूरत होती है।